[श्री शिव चन्द्र झा]

इस तरह से सारे देश में एक गलत परम्परा चलाई जा रही है . . . **(व्यवधान)**

**श्री रफीक आलम** (बिहार): जो ड्राईवर जिन्दा है उसने जा कर रूद रिपोर्ट लिखाई है। इस तरह से किसी को बदनाम करना बहुत गलत और बेहूदा बात है . . **(व्यवधान)**

**श्री सुरेन्द्र मोहन** (उत्तर प्रदेश : इस पर आप बहस करा लीजिये ।

**REFERENCE TO THE ALLEGED SUB-STANDARD FERTILIZERS PRODUCED BY M/s' MADHUBAN CHEMICALS AND FERTILIZERS (PVT LTD., UDAD7UR**

---

**श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे सवाल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विशेषकर कृषि मंत्रालय और फर्टिलाइजर एंड कैमिकल मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण देश के लाखों किसानों के साथ भारी धोखाधड़ी हुई है । उपसभाध्यक्ष जी, उदयपुर में एक फर्टिलाइजर और कैमिकल कम्पनी, मैसर्स मधुवन कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर, इसके द्वारा मधुफला नाम के एक खाद का उत्पादन किया गया है । मध्य प्रदेश के एक वितरक और मध्य प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम समिति के जो एक सदस्य भी हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं और बड़े व्यापारी भी हैं वे इस सारे मधुफला खाद के वितरक हैं । पिछले दिनों इंदौर के एक विधायक निर्भयसिंह पटेल ने इंदौर जिले में इस खाद के नमूने किसानों के यहां से लेकर कृषि विभाग द्वारा जांच कराने के लिए जबलपुर के शासकीय जांच केन्द्र जहां पर जांच होती है, उस के पास ये सारे खाद के नमूने भेजे । जो ये खाद के नमूने भेजे गये ये सब-स्टैंडर्ड पाये गये, यह वहां, की जांच रिपोर्ट आई है । यह सारी खाद जो मैसर्स सिंहल ट्रेडर्स, इंदौर द्वारा वितरित हुई यह सारी की सारी खाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब इन चार राज्यों के किसानों को किसानों को खेतों में इसका प्रयोग करते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, ये जो नमूने पकड़े गये और समाचार-पत्रों में इसका समाचार छपने के बाद इन चारों राज्यों के किसानों में एक खलबली पैदा हो गई है। इन नमूनों की जांच में पाया गया कि इस खाद के अन्दर नाइट्रोजन 9.61, फास्फेट 16.25 और पोटाश में 2.81 इस मात्रा में कमी पाई गई और केवल इतना ही नहीं इसके कारण किसानों का लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वितरक और निर्माता इन दोनों ने इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाया है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और साथ में मांग करता हूं कि एक तो यह मधुफला खाद जो अभी तक यहां वहां रखी हुई है, जहां पर भी इसका स्टाक है, उस पूरे स्टाक को जब्त किया जाना चाहिए । दूसरी मांग यह है कि इस सारे खाद की फिर से जहां जहां इसका स्टाक है, जांच की जानी चाहिए और निर्माता और वितरक, सिंहल ट्रेडर्स इंदौर और फर्टिलाइजर कम्पनी इन दोनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और इनका सारा माल जब्त किया जाना चाहिए । साथ ही इन दोनों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं ये सारी सुविधायें वापस ली जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने इन चारों राज्यों के किसानों का करोड़ों रुपये का घोटाला किया है और उनका शोषण किया है । इसके साथ ही सारे देश के उत्पादन पर इसका असर हुआ है । इन शब्दों के साथ में इन दोनों मंत्रालयों से मांग करता हूं कि इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय, मैसर्स सिंहल ट्रेडर्स इंदौर और उदयपुर की फर्टिलाइजर कम्पनी पर ।

**श्री राधाकिशन मालवीय** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे

---

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): You please understand that in Special Mentions there is no scope for any other hon. Member to say anything. If you want to say anything, please ask for special permission from the Chair; and if he permits you, you